रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 805] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/फाल्गुन 30, 1938
No. 805] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2017

का.आ. 895(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2017 है ।

(2) यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, के खंड 22 के उपखंड (ग) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जांएगे, अर्थात् :-

परंतु जहां नगरपालिका शहरी खाद की विनिर्माता है, केंद्रीय सरकार थोक विक्रय के लिए खाद को अधिसूचित नहीं करेगी ।

परंतु यह और कि विनिर्माता/आयातक द्वारा प्रत्येक किसान को ऐसे विक्रय के समय पादप पोषकों के न्यूनतम प्रत्याभूत प्रतिशत को उपदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

[फा. सं. 8-2/2008-जैविक कृषि]

आई. रानी कुमुदिनी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, में सा.का.नि. सं. 758(अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 349(अ) तारीख 6 फरवरी, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 21st March, 2017

S.O. 895(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Second Amendment Order, 2017

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order,1985, in clause 22, in sub-clause (c) for the proviso, the following provisos shall be inserted, namely;-

"Provided that where the municipality is the manufacturer of city compost, it shall not for the Central Government to notify it for bulk sale;

Provided further that a certificate indicating the minimum guaranteed percentage of plant nutrients is issued by the manufacturer/importer to each farmer at the time of such sale.".

[F. No. 8-2/2008 Organic Farming]

I. RANI KUMUDINI, Jt Secy.

Foot Note : This principal Order was published in the official Gazette of India vide G.S.R. No. 758(E) dated 25th September, 1985 and subsequently amended vide notification S.O. No. 349(E) dated 6th February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.22 14:39:34 +05'30'